



कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
शामली।

पत्रांक 135 / स0क्षे0प्र0 / शामली / विविध-निविदासू0 / 2019 दिनांक-04.02.2019

-:निविदा-सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जलालाबाद बस स्टेशन परिसर में खडे 42 यूकेलिप्टिस के वृक्षों के कटान हेतु वृक्षों की नीलामी के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा के लिए नियम व शर्तें निम्नवत् हैं-

1. इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा दिनांक 12.02.2019 को समय 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 12.02.2019 को समय 14:00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

2. निविदा फार्म शामली डिपो कैशियर से रुपये 118/- (100+18 जी0एस0टी0) निगम कोष में जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

3. निविदा के साथ धरोहर धनराशि रु. 10000/- का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर के नाम देय हो, कार्यालय में जमा कराना होगा जो रिफण्डेबल/समायोज्य होगा।

4. निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, वैध परिचय पत्र, चरित्र प्रमाणपत्र एवं पैनकार्ड की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करनी आवश्यक होगी।

5. प्राप्त निविदाओ के आधार पर जिस पक्ष की निविदा उच्चतम होगी उसे निविदा में दी गई सम्पूर्ण धनराशि उसी दिनांक को सायं 17:00 बजे तक निगम कोष में जमा करनी होगी।

6. निविदा दाता को अपने खर्चे पर पेड जमीन के लेवल तक कटवाकर यार्डको यथावत स्थिति में कराना होगा।

7. पक्षकार पेड काटते समय निगम कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा निगम की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।

8. निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में बस स्टेशन जलालाबाद परिसर में खडे चिन्हित 42 यूकेलिप्टिस के वृक्षों का निरीक्षण कर सकते हैं।

9. उक्त वृक्षों की कटाई का कार्य 10 दिनों में सम्पादित करना होगा। समयावधि में कार्यपूरा न होने की स्थिति में रु. 1000/- प्रतिदिन के अनुसार पेनाल्टी निगम कोष में जमा कराना होगा।

10. यदि निविदादाता द्वारा धनराशि समयान्तर्गत जमा नहीं की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

11. निविदा सूचना उ0प्र0 परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर देखी जा सकती है।

12. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

13. निविदादाता को वृक्षों की नीलामी के उपरान्त पातन एवं अभिवहन शुल्क क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन, जनपद- शामली के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही पातन करना होगा।

14. निविदादाता को उक्त वृक्षों के कटान से उत्पादित प्रकोष्ठ के अभिवहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अभिवहन पास नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
15. निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु. 135000/- होगा।

(परवेज बशीर)
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
शामली।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक महोदय, उ०प्र० परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र।
2. सहायक प्रबन्धक (एम०आई०एस०) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
3. वाणिज्य कर अधिकारी, जनपद- शामली।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन, जनपद- शामली।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ उक्त निविदा को अपने डिपो में (बस स्टेशन/कार्यशाला) चस्पा करवाने का कष्ट करें।
6. वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी/लेखाकार, शामली डिपो।
7. समस्त समाचार पत्र, जनपद-शामली

(परवेज बशीर)
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
शामली।

Downloaded from
www.upsrtc.com